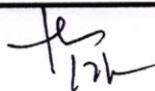
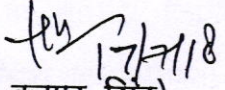
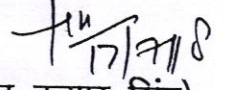


आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
17.07.2018	Board of Revenue, Bihar, Patna Service Appeal Case No.- 05 of 2018 Dist.:- Patna. PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member. Dharmveer Prasad - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party Appearance : For the Petitioner : Ashok Kumar Karn, Advocate. For the OP : <u>ORDER</u> यह सेवा अपील सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं०- 16/आ०-01-14/2015 सा०प्र०-16074 दिनांक- 18.12.2017 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उपस्थित। श्री धर्मवीर प्रसाद, सहायक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विरुद्ध भ्रामक एवं गलत प्रस्ताव देते हुए दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करने तथा आदेश की अवहेलना एवं घोर लापरवाही का आरोप प्रतिवेदित है। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय ज्ञापन संख्या- 3637 दिनांक- 10.03.2016 द्वारा श्री प्रसाद को अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। श्री प्रसाद का बचाव अभिकथन दिनांक- 06.04.2016 प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया।	



श की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा उनके बचाव अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा प्रतिवेदित आरोपों की विधिवत विस्तृत जाँच की आवश्यकता समझते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17/19 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री धर्मवीर प्रसाद, निलंबित सहायक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विरुद्ध पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17/19 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं०- 7136 दिनांक- 19.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस मध्य प्रशासी विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 2005 दिनांक- 06.07.2016 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त किया गया साथ ही उनके निलंबन अवधि दिनांक- 25.11.2015 से 31.01.2016 तक को कार्य अवधि मानते हुए निलंबन अवधि के वेतन भुगतान का भी निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी श्री शिवशंकर मिश्र, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 105/एस०एस०एम० दिनांक- 06.09.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुशासनिक प्राधिकार सहमत हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के संगत प्रावधान के अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति विभागीय पत्रांक- 13671 दिनांक- 31.10.2017 द्वारा श्री प्रसाद को भेजते हुए अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री प्रसाद का	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	अभ्यावेदन दिनांक- 13.11.2017 प्राप्त हुआ जिसकी समीक्षा में अभ्यावेदन में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री धर्मवीर प्रसाद, सहायक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत (1) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध (2) देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक की शास्तियाँ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री धर्मवीर प्रसाद, सहायक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत निम्नांकित शास्तियाँ अधिरोपित एवं संसूचित की जाती हैं:- 1- दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध। 2- देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक। श्री प्रसाद पर भ्रामक टिप्पणी देने एवं प्रधान सचिव के आदेश के पश्चात् संचिका 1 वर्ष 8 महीने के बाद मांगे जाने के बाद उपस्थापित करने का मूल आरोप है। सुनवाई के दौरान दिनांक- 24.05.2018 को सामान्य प्रशासन विभाग को निदेश दिया गया था की अपीलार्थी की टिप्पणी को जिन-जिन वरीय पदाधिकारियों ने अनुमोदित किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक- 7625 दिनांक- 11.06.2018 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गई। जिसके अनुसार श्री जितेन्द्र नारायण तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सम्प्रति अवर सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। श्री उपेन्द्र नारायण तत्कालीन अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सम्प्रति उप सचिव, शिक्षा विभाग को कालमान वेतन के निम्नतर तीन प्रक्रम पर स्थायी रूप से	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	अवनति का दंड अधिरोपित किया गया। श्री जयप्रकाश केशरी सेवानिवृत्त अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं श्री राजीव रंजन सिंह, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है, एवं अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	